



Neutral Citation No. - 2026:AHC:129425

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

अनुच्छेद 227 के अंतर्गत मामले संख्या - 3629 वर्ष 2026

श्रीमती सन्नो देवी

.....याची(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 8 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याची(गण) के अधिवक्ता : राम अवतार

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. राज्य की ओर से दाखिल किया गया अनुपालन शपथ-पत्र पत्रावली पर लिया जाता है।
2. याची-सूचनादाता के विद्वान अधिवक्ता श्री राम अवतार तथा राज्य-प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री राज शेखर श्रीवास्तव को सुना गया।
3. प्रस्तावित किए जा रहे आदेश के दृष्टिगत, प्रत्यर्थी संख्या 3 से 9 को नोटिस जारी नहीं किए जा रहे हैं।
4. सूचनादाता-याची के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह कथन किया गया है कि वह अनुपालन शपथ-पत्र का कोई उत्तर दाखिल करने का प्रस्ताव नहीं करते हैं तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर याचिका का निस्तारण कर दिया जाए। पक्षकारों की सहमति से, याचिका का निस्तारण नवीन प्रक्रम पर ही किया जा रहा है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5. सूचनादाता-याची का मामला यह है कि उसने पुलिस थाना- झूंसी, जिला- आग्रा प्रयागराज के समक्ष दिनांक 05.01.2017 को 12:30 बजे यहां निजी प्रत्यर्थियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 392, 354-ख, 504, 506, 323, तथा 147 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 0016 वर्ष 2017 दर्ज कराई थी। प्रथम सूचनादाता-याची के अनुसार, उसे विवेचना की प्रगति के विषय में अवगत नहीं कराया गया, जिसने उसे वर्तमान याचिका दाखिल करने के लिए विवश किया जिसमें निम्नलिखित अनुतोष की मांग की गई है:

"(i) आदेश या निदेश जारी करें, विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय संख्या 5, इलाहाबाद को यह निदेशित करें कि वे पुलिस थाना झूंसी, जिला प्रयागराज में याची द्वारा दर्ज कराई गई दिनांक 5.1.2017 की प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 16/2017 मुकद्दमा अपराध अंतर्गत धारा 147, 323, 504, 506, 354(ख) तथा 392 भारतीय दंड संहिता में विवेचना अधिकारी द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत उल्लिखित विधि और प्रक्रिया के अनुसार उचित आदेश पारित करें तथा संबंधित न्यायालय के समक्ष विवेचना अधिकारी द्वारा दिनांक 16.2.2018 को दाखिल आरोप-पत्र संख्या 158/2017 को इस माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित की जाने वाली एक निश्चित अवधि के भीतर शीघ्रता से निस्तारित करें।"

6. इस न्यायालय ने, दिनांक 21.04.2026 को, निम्नलिखित आदेश पारित करने की कार्यवाही की:-

"1. अनुच्छेद 227 के अंतर्गत मामले संख्या 2416 वर्ष 2026 में संशोधन प्रार्थना-पत्र संख्या 3 वर्ष 2026 पर पारित आदेश दिनांक 10.4.2026 की प्रमाणित प्रति पत्रावली पर ली जाती है।

2. राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को यह अनुदेश प्राप्त करने हेतु निदेशित किया जाता है कि वर्तमान मामले में संबंधित न्यायालय के समक्ष आरोप-पत्र किस तिथि को दाखिल किया गया है तथा संबंधित न्यायालय द्वारा आदेश कब पारित किया गया है।

3. इस मामले को 12.05.2026 को नवीन मामले के रूप में सूचीबद्ध करें।"

7. तत्पश्चात, दिनांक 12.05.2026 को, निम्नलिखित आदेश पारित किए गए:-

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



"1. राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता प्रार्थना करते हैं और उन्हें इस संबंध में शपथ-पत्र दाखिल करने हेतु समय प्रदान किया जाता है कि संबंधित न्यायालय के समक्ष आरोप-पत्र किस तिथि को दाखिल किया गया था।

2. इस मामले को 4.6.2026 को नवीन मामले के रूप में सूचीबद्ध करें।"

8. आज, उप-निरीक्षक, पुलिस थाना झूंसी, जिला प्रयागराज द्वारा शपथबद्ध दिनांक 16.06.2026 का एक अनुपालन शपथ-पत्र दाखिल किया गया है, जिसमें, कंडिका 6 में, यह अभिकथन किया गया है कि विवेचना के पश्चात यह पाया गया कि सह-अभियुक्तों में से लाल मणि तथा पृथ्वी पाल भारतीय दंड संहिता की धारा 354-ख, 392 के अंतर्गत अपराधों के दोषी नहीं पाए गए, तथा राम कैलाश, लालजी, आदित्य भारतीय उर्फ बंटी, कमलेश भारतीय उर्फ राजू, तथा जिया लाल भारतीय के संबंध में, उनके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 323, 504, तथा 506 के अंतर्गत दिनांक 16.7.2017 को आरोप-पत्र संख्या 158 वर्ष 2017 दाखिल किया गया है। कंडिका 8 में यह भी उल्लेख किया गया है कि आरोप-पत्र को पंजिका संख्या 4 प्रविष्टि दिनांक 16.02.2018 के माध्यम से न्यायालय को अग्रेषित कर दिया गया है।
9. याची के विद्वान अधिवक्ता ने प्रश्नावली की ओर ध्यान आकृष्ट किया है, जो पेपर-बुक (पत्रावली) के पृष्ठ संख्या 37 पर है, और यह तर्क प्रस्तुत किया है कि आरोप-पत्र का अता-पता ज्ञात नहीं हो पा रहा है।
10. न्यायालय के विचार में, एक बार जब अंतिम आख्या अथवा आरोप-पत्र दाखिल कर दिया जाता है, तो संविधि स्वयं उपचार का प्रावधान करती है। जैसा कि अंतिम आख्या के मामले में, शिकायतकर्ता/सूचनादाता को विरोध याचिका दाखिल करने का अधिकार है, तथा आरोप-पत्र दाखिल करने के संबंध में, अभियुक्त विधिक आश्रय ले सकता है। इस प्रकार, इस आरोप के संबंध में कि दस्तावेज निचली अदालत के समक्ष उपलब्ध नहीं हैं, यह याची पर है कि वह एक उचित प्रार्थना-पत्र दाखिल करके जिला एवं सत्र न्यायाधीश से संपर्क करे, जो तत्पश्चात एक जांच कराएंगे और दस्तावेजों का पता लगाएंगे या ऐसा करने के लिए किसी अधिकारी को नामित करेंगे।
11. तदनुसार, याची को विधि के अंतर्गत आवश्यक और अनुमेय ऐसे कदम उठाने का अवसर प्रदान किया जाता है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



12. उक्त टिप्पणियों के साथ, याचिका निस्तारित की जाती है।

(विकास बुधवार, न्यायमूर्ति)

25 जून, 2026

विकास वर्मा

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।